

## आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक - ता० 20.11.2022 से तक

जिला लोहाड़ा सं० 68 18 सन 2022-23

केस का प्रकार विविधवाद

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                   |
| 14.11.2022                | <p>आवेदक विकास कुमार पिता अजय प्रसाद को राहुल कुमार को राजेश प्रसाद को वृन्दा प्रसाद को शिवशंकर कुमार सभी निवासी ग्राम-मनिका थाना + जिला मनिका जिला-लोहाड़ा द्वारा आवेदन दिया गया है कि प्रद्युम्न कुमार पिता निर्मल प्रसाद ग्राम + थाना - मनिका जिला-लोहाड़ा द्वारा अवैध रूप से उनके जमीन में चहरदीवारी का निर्माण कार्य किया जा रहा है। राजस्व उप निरीक्षक से अंचल निरीक्षक के माध्यम से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। दोनों पक्षों को राजस्व कोषागार के साथ उपस्थित दिनांक-24.11.2022 को उपस्थित होने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक-24.11.2022 को रखें।</p> <p>अंचल अधिकारी<br/>मनिका।</p> |                                                     |